UPLK010014362026

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, लखनऊ

प्रकीर्ण वाद सं०-105/2026

योगेन्द्र सिंह **बनाम** सुधीर कुमार पन्त

दिनांक-06.03.2026

1. पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थनापत्र सी-11 पर सुना गया।

निस्तारणः प्रार्थनापत्र सी-11 अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम-

2. आवेदक/अपीलार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र सी-11 अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम समर्थित शपथपत्र, इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उसके सर्दी, जुखाम, बुखार से पीड़ित होने के कारण दिनांक 27.01.2026 को वह अपने अधिवक्ता से नहीं मिल सका, जिस कारण अपील दाखिल करने में एक दिन का विलम्ब हो गया। अपीलार्थी द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब कारित नहीं किया गया है। तदैव, आवेदक/अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने की याचना की गयी है।

3. विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र सी-11 स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति न होने का कथन किया गया।

4. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील दिनांक 28.01.2026 को आक्षेपित आदेश दिनांकित 11.11.2025 के विरुद्ध योजित की गयी है, जो कि मुंसरिम आख्यानुसार 01 दिन कालबाधित है। विलम्ब के सम्बन्ध में आवेदक की ओर से यह कहा गया है कि उसके बुखार से पीड़ित होने के कारण वह अपने अधिवक्ता से नहीं मिल सका, जिसके कारण विलम्ब हुआ। प्रार्थनापत्र में किये गये कथन शपथपत्र से समर्थित हैं।

5. सम्मानित विधि व्यवस्था **Haribhai Lakhmanibhai Seedhav vs State of Gujarat and others, [2009(27) LCD 1645] (05.11.2009)** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले के तथ्यों को देखते हुये अपील दाखिल करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया गया था और यह अवधारित किया गया कि अपील/निगरानी विलम्ब के आधार पर निरस्त नहीं की जानी चाहिये और उसे गुण दोष के आधार पर निस्तारित किया जाना चाहिये।

6. **जिलेदार सिंह बनाम नियत प्राधिकारी सीलिंग बहराइच, निर्णीत 24 अगस्त 1984 (ए.एच.सी.)(लखनऊ)** में अवधारित किया गया है कि धारा-5 मियाद अधिनियम पर सुनवाई करते समय न्यायालय को उदारतापूर्वक विचार करना चाहिये तथा विलम्ब क्षमा किये जाने का प्रार्थना पत्र केवल तभी निरस्त किया जाना चाहिये जब उसका कोई उचित रुप से स्पष्टीकरण न हो और सद्भावना का अभाव हो।

7. चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अपीलार्थी द्वारा उसका स्वास्थ्य खराब होने के कारण विलम्ब होना अभिकथित किया गया है एवं अपील का गुणदोष के आधार पर निस्तारण आवश्यक है तथा विपक्षी की ओर से भी कोई आपत्ति नहीं है। अतः

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदक/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र सी-11 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र सी-11 स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

पत्रावली, अपील के अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु **दिनांक 20.03.2026** को पेश हो।

(मलखान सिंह)
जनपद न्यायाधीश,
लखनऊ

Digitally signed by Malkhan Singh
Date: 2026.03.07 11:06:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court